न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–05 / 2025

जीसीएमएस नं:–2025 / 62

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 42 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. हरीराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. जगदीश प्रसाद पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल कुम्हार निवासी चक 4 केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' राज.काश्त अधिनियम

उपस्थित– :

1. श्री हसंराज डाल एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. राज पैरोकार अप्रार्थी की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27/03/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के नाम से कृषि भूमि वाके चक 7 एनडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–81 / 27, 82 / 50 व 81 / 48 में खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण यह स्पष्ट करते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 7 एनडी में स्थित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में स्थित चक 5 एनडी का मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं.–81 / 35 जो कि रकबा राज है, के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता गत 40 वर्षों से मौका पर चल रहा है लेकिन उक्त रास्ता मौका पर स्वीकृत नहीं है तथा मुरब्बा नं. –46 के उत्तर दिशा में स्थित मुरब्बा नं.–45 पत्थर सं.–81 / 34 के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है जो आगे गांव नाहंरावाली, चक 3 एनडी व चक 4 केएएम (खाल) से जुड़ता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे कृषि कार्य हेतु आने जाने में तथा कृषि जिन्स धान मण्डी लाने हेतु बहुत ही ज्यादा परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण रकबा राज कृषि भूमि चक 5 एनडी का मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं.–81 / 35 के किला नं. –1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता रवीकृत करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण स्वीकृत रास्ता से होकर चक 7 एनडी के स्वीकृ[illegible] मिल सके तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुगम व सुविधाजनक है। इसके अला[illegible]ई विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के[illegible] के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने मे भारी असुविधाओं [illegible] सामना करना पड़ रहा है [illegible] रास्ता के अभाव मे प्रार्थी को अपनी कृ[illegible] जाने में भारी असुविधा हो[illegible] इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि मे रास्ता मंजूर करवा कर राजस्व रिकार्ड में अकंन करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की चक 5 एनडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

का मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं.–81/35 के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता मंजुर करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त रकबा राज मे से रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने का कहा। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करवाने बाबत पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 एनडी का मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं.–81/35 जो कि रकबा राज है, के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे तत्पश्चात रास्ते का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के चक 5 एनडी का पं नं.–81/35 के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला में मौका पर करीब 12–12 फीट रास्ता मौका पर चालु रहा है को स्वीकृत करवाना चाहते है। उक्त रास्ता चक 5 एनडी के पं.नं.–81/34 व चक 7 एनडी का पं.नं. –81/36 व 81/37 के प्रत्येक के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत एवं मौका पर चालू रास्ता को जोड़ता है। पं.नं.–81/35 के किला नं.–1 से 25 की 6.325 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड मे रकबा राज दर्ज है। इस भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका सं.–2870/2002 आदूराम बनाम राज्य व अन्य विचाराधीन है। रास्ता के सम्बन्ध में भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट मय नजरी नक्शा नकल जमाबन्दी सहित प्रति इस पत्र के सलग्न करके रिपोर्ट श्रीमान जी सेवा में अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि चक 5 एनडी का मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं.–81/35 जो कि रकबा राज है, रकबा राज के किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने मांग की है। जो प्रार्थीगण के आने–जाने हेतु रकबा राज कृषि भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकि कानूनन खातेदार कृषक की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रकबा राज भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 27/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़